संशोधन-आदेश

संख्या-38/2026/।-1262374/2026/सा0-439/38-2-2025

001-38-2099-99-35-2026

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2026**

विषयः- जनपद-बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड-महुआ के परिसर में अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-36/2026/।-1259646/2026/ सा0-439/38-2-2025-001-38-2099-099-35-2026, दिनांक 10 मार्च, 2026 द्वारा जनपद-बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड-महुआ के परिसर में अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु रू0 194.14 लाख (रूपये एक करोड़ चौरान्नवे लाख चौदह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 58.00 लाख (रूपये अट्ठावन लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में त्रुटिवश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बांदा के स्थान पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अमेठी अंकित हो गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-36/2026/।-1259646/2026/सा0-439/38-2-2025-001-38-2099-099-35-2026, दिनांक 10 मार्च, 2026 के प्रस्तर-1 में अंकित जनपद-बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड-महुआ के परिसर में अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अमेठी को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के स्थान पर जनपद-बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड-महुआ के परिसर में अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बांदा को कार्यदायी संस्था नामित किया जाना पढ़ा एवं समझा जाय।

3- शासनादेश संख्या-36/2026/।-1259646/2026/सा0-439/38-2-2025-001-38-2099-099-35-2026, दिनांक 10 मार्च, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त शासनादेश में अंकित अन्य नियम व शर्तें/प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-38/2026/I-1262374/2026/सा0-439/38-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।

2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0,लखनऊ/प्रयागराज।

3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।

4- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- जिलाधिकारी, बाँदा।

6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, बाँदा।

7- कोषाधिकारी, बाँदा।

8- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाँदा।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2

10- अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बाँदा।

11- ग्राम्य विकास अनुभाग-5/8

12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।